

बिहार सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक..... /

संख्या /भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल राज्य के काराओं में परिष्ठापक के पदों पर नियुक्ति एवं सेवाशर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

- (1) यह नियमावली बिहार कारा "परिष्ठापक" संवर्ग नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

- (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
- (ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, बिहार;
- (iii) "नियंत्रि प्राधिकार" से अभिप्रेत है केन्द्रीय कारा के काराधीक्षक;
- (iv) "विभाग" से अभिप्रेत है गृह विभाग; तथा
- (v) "कारा निरीक्षणालय" से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार।

3. संवर्ग का गठन - इस संवर्ग में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत एवं संसूचित पदवर्ग/संख्या बल होगा।

4. आरक्षण- नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण नीति लागू होगी।

5. भर्ती-

- (1) नियमित वेतनमान पर नियुक्ति होगी।
- (2) राज्य अवस्थित काराओं में कार्यशील चिकित्सालयों हेतु "परिष्ठापक" के पद पर नियुक्ति होगी।
- (3) परिष्ठापक पद पर नियुक्ति संलग्न अनुसूची "क" में विहित प्रक्रियानुसार अथवा राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर विहित प्रक्रियानुसार होगी।

ज्ञापक 47413 पटना, दिनांक 3/4/10
प्रतिलिपि- अधीक्षक, गुलजारबाग प्रसा, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 मुद्रित प्रतियों विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराये।

Omaw
सरकार के सचिव,
गृह विभाग, बिहार।

ज्ञापक 47413 पटना, दिनांक 3/4/10
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Omaw
सरकार के सचिव,
गृह विभाग, बिहार।

ज्ञापक 47413 पटना, दिनांक 3/4/10
प्रतिलिपि:- कार्गिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Omaw
सरकार के सचिव,
गृह विभाग, बिहार।

ज्ञापक 47413 पटना, दिनांक 3/4/10
प्रतिलिपि:- कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/ उपकारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Omaw
सरकार के सचिव
गृह विभाग, बिहार।

अनुसूची "क"

1. विज्ञापन

राज्य के प्रमुख एक हिंदी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में नियुक्ति हेतु दो दिन विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

2. आवेदन पत्र का प्रेषण

सभी आवेदन पत्र कास मजानिरीक्षक कार्यालय में विज्ञापन में यथाविहित पदाधिकारी को, सवीकृत एवं यथा निर्दिष्ट तिथि तक प्रेषित किये जायेंगे।

3. आवेदन शुल्क

आवेदन के साथ अनारक्षित, पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को यथाविहित फीस का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों हेतु कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवेदन पत्रों की छंटवाई एवं परीक्षण

आवेदन पत्रों की छंटवाई एवं परीक्षण कास मजानिरीक्षक द्वारा यथा मंजूर समिति द्वारा की जायेगी।

कास मजानिरीक्षक एक वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किसी वाढ्य समित अथवा अपने विवेक से किसी अन्य रास्था या माध्यम से कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। यह परीक्षा 80 अंकों की होगी, जिसमें निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी:

(i) 40 (चालीस) प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी एक प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। परीक्षा की अवधि 60 (साठ) मिनट की होगी।

(ii) यह प्रश्न-पत्र सामान्य-ज्ञान एवं परिस्थापक के कार्यों से संबंधित विषय-वस्तु पर होगा।

(iii) इस परीक्षा में कोई अहतांक नहीं होगा, बल्कि कुल विज्ञापित रिक्तियों के कोटिवार चार गुना उम्मीदवारों की योग्यता सूची बनाकर प्रायोगिक परीक्षा में बुलाया जाएगा और उसमें से सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

5. प्रायोगिक परीक्षा—

उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु प्रायोगिक परीक्षा के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों को मिलाकर कास मजानिरीक्षक एक समिति गठित करेगे:

(i) निदेशक (प्रशासन), कास निरीक्षापालय

अध्यक्ष

(ii) गृह विभाग के द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि

सदस्य

(iii) कास में पदस्थापित दो विकिल्सा पदाधिकारी

सदस्य

प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंक 20 होंगे।

